जीत कर दिखाओ उनको जो, तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे है। -अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून, बुधवार, 11 अगस्त 2021

पेज थ्री

www.page3news.in

दूसरी लहर ने पानी फेर दिया

कोरोना महामारी की पहली लहर में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा असर नहीं हुआ था और वहां की इकॉनमी मजबूत बनी हुई थी। दूसरी लहर में गांवों पर इसका व्यापक असर हुआ है, जिससे खपत में कमी आने की आशंका है।

शांति शाह।।

कोरोना के असर से अर्थव्यवस्था के जिस तेजी से उबरने की उम्मीद थी, दूसरी लहर ने उस पर पानी फेर दिया है। वित्त वर्ष 2022 में पहले जहां देश की ग्रोथ 11–14 फीसदी रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, अब उसे घटाकर 8.5–10 फीसदी कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021 में ग्रोथ माइनस 7.3 फीसदी रही। कोरोना महामारी की पहली लहर में ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा असर नहीं हुआ था और वहां की इकॉनमी मजबूत बनी हुई थी। दूसरी लहर में गांवों पर इसका व्यापक असर हुआ है, जिससे खपत में कमी आने की आशंका है। मई में लॉकडाउन के कारण जहां कंपनियों के प्रॉडक्शन और दुकानों से बिक्री प्रभावित हुई, वहीं लोगों ने अनिश्चितता के कारण खर्च घटाया। इसलिए मई में अप्रैल की तुलना में टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री में 65 फीसदी, स्मार्टफोन की बिक्री में 30 फीसदी की कमी आई। अप्रैल में जहां कंपनियों ने शोरूम में 2 लाख 86 हजार पैसेंजर गाड़ियां भेजी थीं, वहीं मई में इनकी संख्या घटकर 1 लाख से कुछ अधिक रह गई। प्रॉडक्शन और खपत में कमी का रोजगार पर भी बुरा असर हुआ है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) का दावा है कि मई महीने में 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और 30 मई को खत्म सप्ताह में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 18 फीसदी के साथ पिछले एक साल में सबसे अधिक हो गई। जून में कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी गई है, इसलिए हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन महामारी के पहले के स्तर तक पहुंचने में अर्थव्यवस्था को वक्त लगेगा। यहां यह बात भी याद रखनी चाहिए कि पिछले साल महामारी के आने से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी हुई थी। महामारी ने इस मोर्चे पर दिक्कत बढ़ा दी है और समाज के सभी वर्गों पर इसका असर पड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले प्यू रिसर्च का एक सर्वे आया, जिसमें बताया गया कि 2020 में भारत में मध्यवर्गीय लोगों की संख्या में 3.5 करोड़ की कमी आई। इसी तरह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 23 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में फंस गए। सरकार ने पिछले साल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बड़ा राहत पैकेज दिया था। सरकारी खजाने की हालत ठीक नहीं, इसलिए अभी उसके लिए ऐसा करना मुश्किल है। इसलिए उदय कोटक जैसे उद्योगपतियों ने कहा है कि रिजर्व बैंक अधिक नोट छापे और सरकार अपनी बैलेंट शीट बढ़ाए। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से मौजूदा आर्थिक मुश्किलों से कैसे निपटा जाएगा, इसके संकेत नहीं मिले हैं।

यह बात भी तय है कि जब तक लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा नहीं बढ़ेगा, तब तक खपत बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसमें बढ़ोतरी इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान इसी का है।

पुण्य कर्म

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। तीर्थ और तीर्थयात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। तीर्थों में चार धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी ये चार धाम है। सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, घ्कारेश्वर, केदारनाथ विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर और बैद्यनाथ ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंति उज्जैन ये सप्तपुरी। उपरोक्त कहे गए तीर्थ की यात्रा ही धर्मसम्मत है।

संपादकीय

ओटीटी प्लैटफॉर्मों का क्या?

नियम कहते हैं कि ओटीटी प्लैटफॉर्मों को आयु के हिसाब से अपने कंटेंट को पांच वर्गों में बांटना होगा। उनके जो कंटेंट वयस्कों के लिए हैं, उनके लिए प्लैटफॉर्मों को पैरेंटल लॉक मुहैया कराना होगा ताकि बच्चे उन्हें न देख पाएं। नियम में यह भी कहा गया है कि इन कंपनियों को जो कंटेंट वयस्कों के लिए है, उसकी खातिर 'आयु की पहचान करने का विश्वसनीय तंत्र' भी विकसित करना होगा। इसके साथ ओटीटी प्लैटफॉर्मों को सेल्फ–रेगुलेटरी मेकेनिज्म यानी ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें वे खुद पहल करके आपत्तिजनक कंटेंट को दर्शकों के सामने आने से रोकेंगे। इन कंपनियों ने नियमों पर अमल कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि सेल्फ–रेगुलेशन मेकेनिज्म को लेकर ओटीटी प्लैटफॉर्मों को आजादी मिलनी चाहिए। इस मामले में बाहर से कोई दखलंदाजी न हो, लेकिन ओटीटी प्लैटफॉर्म इस पर बंटे हुए भी दिख रहे हैं। उन्होंने सेल्फ–रेगुलेशन के लिए दो संस्थाएं बनाई हैं। इनमें से एक है डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवांसेज काउंसिल (डीपीसीजीसी)। इस काउंसिल में नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम विडियो, एएलटी बालाजी और एमएक्स प्लेयर जैसी कम से कम 10 स्ट्रीमिंग कंपनियां हैं। ये सभी इंटरनेट ऐंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) की मेंबर हैं। दूसरी तरफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ऐंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) बना है, जिसमें डिज्नी हॉटस्टार, जी5, सोनीलिव, वूट, सन नेक्स्ट, डिस्कवरी और जियो टीवी सहित अन्य प्लैटफॉर्म शामिल हैं।

सरकार का दावा है कि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि प्रिंट, टेलिविजन और डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ने के लिए एक जैसा माहौल मिले। उनके लिए एक जैसा नियम–कानून हो।

ये रूल्स क्या हैं?

स्वाति माथुर।।

सरकार के इन्फॉर्मेशन टेक्नलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस ऐंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 या डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स, 2021 के खिलाफ कम से कम 10 मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। हम यहां बता रहे हैं कि ये रूल्स क्या हैं और किस वजह से संबंधित पक्षों ने इसे चुनौती दी है।

डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स को सरकार ने इस साल 25 फरवरी को अधिसूचित किया था। ये गूगल, फेसबुक, वट्सऐप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों, ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लैटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन दिशानिर्देशों को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पर लागू करेगा, जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम यह देखना होगा कि डिजिटल मीडिया कंपनियां इन नियमों पर अमल कर रही हैं या नहीं। सरकार का दावा है कि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि प्रिंट, टेलिविजन और डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ने के लिए एक जैसा माहौल मिले। उनके लिए एक जैसा नियम–कानून हो। इसके साथ ही डिजिटल मीडिया के लिए भी नियमों का एक ढांचा बने।

ये नियम कहते हैं कि सभी इंटरमीडियरी और डिजिटल मीडिया प्लैटफॉर्मों को त्रिस्तरीय व्यवस्था बनानी होगी। इस व्यवस्था की मदद से उन्हें शिकायतों का निपटारा करना होगा और हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट में बताना होगा कि जो शिकायतें मिलीं, उन्हें दूर करने के लिए संबंधित प्लैटफॉर्मों ने क्या किया। नियम यह भी कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर शिकायत मिलने की बात माननी होगी और 15 दिनों के अंदर उसका निपटारा करना होगा। इस दौरान जिस पोस्ट को लेकर शिकायत मिली हो, उसे सूचना और प्रसारण सचिव ब्लॉक कर सकते हैं या हटा सकते हैं।

सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और डिजिटल न्यूज मीडिया ने इन नियमों को अलग–अलग चुनौती दी है। इनमें कहा गया है कि किसी 'ऑफेंसिव (आपत्तिजनक)' मेसेज के बारे में कंपनियों को बताना होगा कि उसे किसने शुरू किया। इसे वट्सऐप ने अदालत में चुनौती दी है। फेसबुक के मालिकाना हक वाली इकाई वट्सऐप का दावा है कि ऐसा करने के लिए उसे एंड–टु–एंट एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा। वट्सऐप दुनिया के कई देशों में मौजूद है और वह सिर्फ भारत के लिए ऐसा नहीं कर सकता। ट्विटर ने इन नियमों को मानने की बात तो कही है, लेकिन दूसरी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने ऐसा न करने पर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा चलाए जाने को चौलेंज किया है। नियम कहते हैं कि उनके प्लैटफॉर्मों पर 'आपत्तिजनक' कंटेंट पोस्ट हुआ तो संबंधित कंप्लायंस अधिकारियों पर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।

इन नियमों को अधिसूचित करने से पहले सोशल मीडिया और ओटीटी प्लैटफॉर्मों के साथ सरकार ने चर्चा की थी, लेकिन उसने डिजिटल न्यूज मीडिया प्लैटफॉर्मों की इन पर राय नहीं ली थी। आईटी रूल्स का जो मसौदा तैयार किया गया, उस पर सार्वजनिक तौर पर रायशुमारी नहीं की गई। इसलिए डिजिटल न्यूज मीडिया कंपनियां इन नियमों का विरोध कर रही हैं। उनका यह भी कहना है कि नए नियम लागू हुए तो सेंसरशिप और उनके कामकाज में दखलंदाजी बहुत बढ़ जाएगी। इन कंपनियों का कहना है कि मीडिया हाउसों पर पहले से प्रेस काउंसिल कानून, केबल टीवी नेटवर्क कानून के तहत प्रोग्राम कोड और दूसरे अधिनियम लागू हैं। फिर नए नियमों को उन पर क्यों थोपा जा रहा है?

सुडोकु नवताल-5407

★★★★☆ मध्यम

6	9			7	4		8	
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5				1	
1				8				5
	6				2	9	3	
4		7						2
8	2			5	9	1	7	
	1		2	3			5	8

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सुडोकु नवताल -5406 का हल

6	5	3	9	1	7	2	8	4
9	1	8	2	6	4	3	7	5
7	4	2	5	3	8	1	9	6
3	7	1	6	9	2	4	5	8
8	6	9	1	4	5	7	2	3
5	2	4	8	7	3	9	6	1
2	9	5	4	8	1	6	3	7
4	3	6	7	5	9	8	1	2
1	8	7	3	2	6	5	4	9

अपना ब्लॉग

डिजिटल इकाइयों को रेगुलेट करने की कोशिश

मोहन। मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (डीएनपीए) ने कहा है कि इन नियमों के जरिये पारंपरिक मीडिया और उनकी डिजिटल इकाइयों को रेगुलेट करने की कोशिश हो रही है, जबकि आईटी एक्ट, 2000 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। इस असोसिएशन में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी जैसे मीडिया हाउस शामिल हैं। असोसिएशन का यह भी कहना है कि इन नियमों में अखबार और उसके ऑनलाइन वर्जन के बीच जो कानूनी फर्क किया गया है, वह 'अस्पष्ट और मनमाना' है। न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में इन रूल्स को चुनौती दी है। उसका कहना है कि सरकार ने 'गुड टेस्ट', 'डिसेंसी' और 'हाफ–ट्रूथ्स' को रोकने जैसी जो शर्तें रखी हैं, इनमें से किसी को भी आईटी एक्ट, 2020 में स्पष्ट नहीं किया गया है। पीटीआई ने कहा है कि इन नियमों को न मानने पर 'गंभीर परिणाम' भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।